उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–83/2023–24

सरकार
–बनाम–
रिम्पल कुमार

आ दे श

12/9/23

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2299/अप0 शा0 दिनांक – 18.08.2023 के द्वारा वादी रागो पूर्ति पे0–स्व0 खदिया पूर्ति सा0–बुद्धूडीह थाना–खूंटी जिला–खूंटी सम्प्रति स0अ0नि0 के पद पर गुमला थाना में पदस्थापित, जिला–गुमला के कम्प्यूटीकृत आवेदन के आधार पर गुमला थाना काण्ड सं0–123/2023 दिनांक–23.04.2023 धारा–20 (B)(ii)C/22(C)/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधि0–1985 के तहत् अवैद्य रुप से गांजा संचय, एवं परिवहन करने के आरोप जप्त स्कूटी रजि0 सं0 – JH07H- 6135 के मालिक रिम्पल कुमार पे0–गणेश सोनी, सा0–जोराग, थाना–गुमला जिला–गुमला वर्त्तमान पता– सिलम पेट्रोल पम्प के पास थाना–गुमला जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को अपना पक्ष न्यायालय में रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा सहायक लोक अभियोजक गुमला से वैधिक मंतव्य की मांग की गई।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया । उत्तरवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनका पक्ष को नही सुना गया और न ही अपने दावे के समर्थन में कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

लोक अभियोजक गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NDPS Act NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा–60 में Confiscation का प्रावधान है परन्तु Confiscation की कार्रवाई विशेष न्यायायल द्वारा ही की जा सकती है। इस सबंध में The NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT-1985 का धारा द्रष्टव्य।

अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में प्रश्नगत वाद की कार्रवाई बिना फलाफल के समाप्त की जाती है।

इस आशय की सूचना पुलिस अधीक्षक गुमला/लोक अभियोजक, गुमला को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.02.20 17:26:07 +05:30
Location: 192.168.29.126

Scanned with OKEN Scanner